

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क० सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/10/ 555

दिनांक :- 26.4.10

—: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7) वित्त/नियम/2008/पार्ट 1 दिनांक 12.09.2008 एवं 06.10.08 तथा एफ.14(88)एफडी (रूल्स)/2008-II दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: प.4 (2) चि.स्वा./2/10 दिनांक 30.03.10 द्वारा निम्नलिखित वरिष्ठ विशेषज्ञों की 20 व 30 वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से वेतन श्रृंखला 15600-39100 में अंकित ग्रेड पे स्वीकृत की जाती है :-

क्रं. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पद	जन्म तिथि	नियमित नियुक्ति दिनांक	20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक	20 वर्ष पूर्ण होने पर एसीपी स्वीकृती दिनांक	20 वर्ष पूर्ण होने पर स्वीकृत ग्रेड-पे	30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक	30 वर्ष पूर्ण होने पर एसीपी स्वीकृती दिनांक	30 वर्ष पूर्ण होने पर स्वीकृत ग्रेड-पे
1	2	3	5	6	7	8		9	10	
1	डॉ. अशोक कुमार शर्मा	वरिष्ठ विशेषज्ञ	31-12-51	01-06-79	01-06-99	01-09-06	6800/-	01-06-09	01-06-09	8200/-
2	डॉ. बी. एल. गुप्ता	वरिष्ठ विशेषज्ञ	17-08-50	01-06-79	01-06-99	01-09-06	6800/-	01-06-09	01-06-09	8200/-
3	डॉ. अनिल कुमार अग्रवाल	वरिष्ठ विशेषज्ञ	12-03-51	01-06-79	01-06-99	01-10-06	6800/-	01-06-09	01-06-09	8200/-
4	डॉ. एम. आर. परमार	वरिष्ठ विशेषज्ञ	10-07-50	08-05-77	08-05-97	01-09-06	6800/-	08-05-07	08-05-07	7200/-
5	डॉ. चोंदमल अग्रवाल	वरिष्ठ विशेषज्ञ	01-11-49	01-06-79	01-06-99	01-09-06	6800/-	01-06-09	01-06-09	8200/-
6	डॉ. मिथिलेश कुमार हर्ष	वरिष्ठ विशेषज्ञ	03-05-48	05-02-76	05-02-96	01-09-06	6800/-	05-02-06	05-02-06	7200/-

उक्त वरिष्ठ विशेषज्ञों का सेवा रिकार्ड कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष स्तर पर रहने के कारण एसीपी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाती है :-

- 1 कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.01 के क्रम में दिनांक 01.06.02 को एवं इसके पश्चात् अधिकारी की तीसरी सन्तान नहीं होने की अधिकारी द्वारा घोषणा।
- 2 एसीपी की देय तिथि से ठीक 20 वर्ष पूर्व नियमित रूप से अधिकारी को वेतन वृद्धिया मिलने एवं उक्त अवधि की सेवायें सन्तोषप्रद होने बाबत अधिकारी द्वारा घोषणा।
- 3 संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं होने की तथा पूर्व में कोई दण्ड नहीं मिलने की अधिकारी की घोषणा।
- 4 उक्त कॉलम में अंकित नियुक्ति तिथि नियमित रूप से होने की अधिकारी की घोषणा भी प्राप्त की जाना।
- 5 जिन चिकित्सकों द्वारा पदोन्नती फोरगो की गई है उन्हें नियमानुसार 02 वर्ष पश्चात् की एसीपी का लाभ इस शर्त पर दिया जायेगा कि उनकी पुनः पदोन्नती होने पर उनके द्वारा फोरगो नहीं किया गया हो।
- 6 संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय में उच्चलब्ध रिकार्ड/सेवा रिकार्ड से घोषणा पत्र के तथ्यों तथा सेवा रिकार्ड के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण तिथि की पुष्टी की जावेगी तथा उक्त घोषणा पत्र व इसकी पुष्टी का इन्द्राज संबंधित चिकित्सा अधिकारी की सेवा पुस्तिका में किया जाकर तदनुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिकारी की एसीपी स्वीकृति तिथि को 20 व 30 वर्ष निरन्तर व सन्तोषप्रद राजकीय सेवा की पुष्टी की जावेगी।

उपरोक्त चिकित्सकों के इस सम्पूर्ण अवधि के एसीआर (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषप्रद सेवा का प्रमाण के आधार पर उक्त एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती हैं कि भविष्य में उक्त अवधि में एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर एसीपी स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार सशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त विधि से प्रकरण नियमानुसार होने पर ही इस स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.09.08 व 06.10.08 के नियम-20 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित चिकित्सकों की सेवा पुस्तिका में की जावेगी। वेतन निर्धारण से पूर्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित चिकित्सकों एसीपी स्वीकृति तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम-2008 के वेतन श्रृंखला 15600-39100 में ग्रेड-पे 6600, 7600/- में वेतन प्राप्त कर रहें हैं।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 26/4/10

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/10/ 555

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
- 1 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
 - 2 संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाय, जोन।
 - 3 अधीक्षक, एम.डी.एम. चिकित्सालय, जोधपुर/महिला चिकित्सालय, उदयपुर/सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर
 - 4 सम्बंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
 - 5 सम्बंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
 - 6 आह्वान एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
 - 7 समस्त जिलेग सहायक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
 - 8 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर तुरन्त जाउनलोड करवाने की व्यवस्था करें।
 - 9 आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।